

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2015

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

आदेश

बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एम.एड./शिक्षा-आचार्य/बी.पी.एड. महाविद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम शुल्क

नेशनल काउन्सिल ऑफ़ टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपयों में)
1.	शिक्षण शुल्क	17 880.00
2.	विविध शुल्क	4 440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क डि.ई.बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु लागू होंगे।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-व्यय का मदवार विवरण सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम रूप से निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	विवरण	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपयों में)
(A)	कार्यालय व्यय	
1.	प्रवेश शुल्क	36.00
2.	कोशन मनी	180.00
3.	प्रमाण-पत्र	24.00
4.	विकास शुल्क	840.00
5.	विकास शुल्क	840.00
6.	विजनी-गाली	300.00
7.	परीक्षा	60.00
7.	विविध	2280.00
	योग	
(B)	कार्यालय व्यय	180.00
1.	खेलकूप	540.00
2.	पुस्तकालय	180.00
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180.00
4.	ननोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	360.00
5.	शैक्षिक तकनीकी	360.00
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	180.00
7.	विज्ञान शुल्क	180.00
8.	आकस्मिक व्यय	2,160.00
	योग	4,440.00
	महायोग (A+B)	

वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा 2016-17 के लिए नवीन शुल्क निर्धारण किए जाने की स्थिति में वर्ष 2016-17 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर भी नवीन शुल्क लागू होगा।

Sd/-

(डॉ० रेंडू बापना)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा